प्रेस नोट थाना रामचन्द्र मिशन

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 10.04.25

"जनपदीय एस0ओ0जी, सर्विलांस सेल व थाना रामचन्द्र मिशन की संयुक्त टीम को मिली बडी सफलता"

"जनपदीय एस0ओ0जी, सर्विलांस सेल व थाना रामचन्द्र मिशन की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्जनपदीय साइबर धोखाधडी करने वाले 25 हजार के ईनामिया वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार"

पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब एंव अवैध शस्त्र, मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले क्रियाशील एंव चिन्हित किये गये अपराधियों, वाछित एंव वारंटी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एंव अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य मे प्रचलित अभियान के क्रम मे श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना रामचन्द्र मिशन के नेतृत्व में जनपदीय एस0ओ0जी, सर्विलांस सेल व थाना रामचन्द्र मिशन की संयुक्त टीम द्वारा थाना रामचन्द्र मिशन पर पंजीकृत मु.अ.स. 218/24 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस 66b/66c IT Act में वांछित 25 हजार के इनामिया अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम सीसई थाना पालीमुकीमपुर जिला अलीगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष जाति मल्लाह को मुखबिर की सूचना पर हरदोई चौराहे से दिनांक 10.04.2025 को समय 11.30 बजे पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

सुनील कुमार पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम सीसई थाना पालीमुकीमपुर जिला अलीगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष जाति मल्लाह

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु.अ.स. 218/24 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस 66b/66c IT Act थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय-

हरदोई चौराहे पर दिनांक 10.04.2025 को समय 11.30 बजे पर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुनील कुमार -

1. मु0अ0सं0 218/24 धारा 318(4),336(3),338,340(2) बीएनएस व 66बी,66सी आईटी एक्ट थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहांपुर।
2. मु0अ0सं0 146/20 धारा 406,420 भादवि थाना कांट जनपद मुरादाबाद।
3. मु0अ0सं0 375/20 धारा 420 भादवि थाना कांट जनपद मुरादाबाद।
4. मु0अ0सं0 97/20 धारा 323,324,34,427,452,504,506 भादवि थाना पालीमुकीमपुर जनपद अलीगढ
5. मु0अ0सं0 140/21 धारा 171F,188,269,270 भादवि व 3,4 महामारी अधि0 थाना पालीमुकीमपुर अलीगढ
6. मु0अ0सं0 162/21 धारा 147,148,149,323,504,506 भादवि थाना पालीमुकीमपुर अलीगढ

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त सुनील कुमार उपरोक्त के द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा दिनांक 27.07.2024 को अपने साथी रमेश पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम सीसई थाना पालीमुकीमपुर जिला अलीगढ़ के साथ वादी मुकदमा राममोहन गुप्ता की बीज की दुकान पर आकर उनसे उनका मोबाइल नम्बर लेकर उनके मोबाइल नम्बर से टेक्स्ट मैसेज 1900 पर उनका नम्बर पोर्ट कराने हेतु भेजा गया था। जिस पर उनके मोबाइल पर पोर्टेबिलिटी का मैसेज आया था। उक्त दोनों मैसेजों को मेरे द्वारा अपने मोबाइल में कैमरा के माध्यम से लेकर दोनों मैसेजों को डिलीट कर चला गया था और उझानी जाकर मेरे द्वारा वादी के मोबाइल नम्बर 9415060605 को अपने आधार नम्बर 976947040467 पर पोर्ट करा लिया था। दिनांक 02.11.24 को शाम के समय उक्त मोबाइल के एक्टिव हो जाने के फलस्वरूप मेरे द्वारा उपरोक्त मोबाइल का प्रयोग कर वादी मुकदमा राममोहन गुप्ता उपरोक्त के एकाउंट से अलग - अलग पैसों का आदान प्रदान करने वाले जनसेवा केन्द्रों पर बरेली आकर बरेली से फरीदपुर को जाने वाले रोड पर जनसेवा केन्द्रों से ट्रांसफर कराकर नकद रुपये प्राप्त किये गये थे । मेरे द्वारा प्राप्त किये गये एक लाख तीन हजार रुपयों में से 10000 रुपये मैने अपने साथी रमेश को उसके हिस्से के दिये थे। शेष 93000 रुपये मेरे पास थे जिन्हे मेरे द्वारा खर्च कर लिया गया है। मेरे पास वर्तमान में निकाले गये रुपयों में से किसी प्रकार की धनराशि नहीं है। मेरे पंजाब बैंक में और यूनियन बैंक बदायूं में खाता है लेकिन पंजाब बैंक बदायूं का खाता बंद हो गया है और यूनियन बैंक में कोई रुपये मौजूद नहीं है। मेरे आधार नम्बर 976947040467 व पैन कार्ड नम्बर HAMPK4115B है तथा मेरे खिलाफ थाना पालीमुकीमपुर के मारपीट आदि के मुकदमे तीन दर्ज हैं। तथा फ्रॉड करने के थाना कांट जनपद मुरादाबाद में दो मुकदमे व एक मुकदमा डिबाई बुलन्दशहर में तथा एक मुकदमा आपके थाने पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर
2. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह SOG पुलिस लाईन मय टीम जनपद शाहजहाँपुर ।
3. अपराध निरीक्षक श्री दिगम्बर सिंह थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर
4. उ0नि0 श्री मनोज कुमार सर्विलास सेल मय टीम जनपद शाहजहाँपुर ।
5. का0 1808 यतेन्द्र कुमार थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर ।